भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

A 107538

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

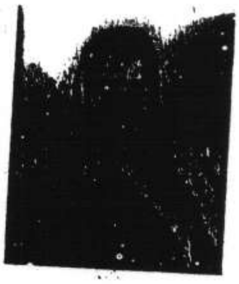

1

विक्रय पत्र

1. भूमि का प्रकार (कृषि / आवासीय / वाणिज्य / औद्योगिक / अन्य) : कृषि
2. वार्ड परगना : झूंसी, इलाहाबाद
3. मोहल्ला / ग्राम : भागीपुर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) : मौजा–भागीपुर, परगना–झूंसी, तहसील– फूलपुर, जिला– इलाहाबाद की आराजी संख्या 269 रकबा 0.7980है0 मे से मुकिरागण अपना– अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 0.2280है0 कृषि कार्य हेतु विक्रय किया।

नि.अ. शान्तीदेवी नि.अ. विजईदेवी

उप कोषागार फूलपुर, इलाहाबाद

दि0 18/07/15 जनरल स्टाम्प मूल्य [illegible]

नाम [illegible] पुत्र/पुत्री [illegible]

स्टाम्प विक्रेता / लेखाकार

18/07/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 15000 पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES Rs. 15000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

303545

5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर) : हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.2280हे0
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : कुछ नही
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड, कार्नर इत्यादि) : कुछ नही

नि.अ. शान्ती देवी

नि.अ. विजयदेवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 646857

3

9. सम्पत्ति का प्रकार (प्लाट / फ्लैट / मकान / दुकान / कृषि) : कृषि भूमि

10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) : X

11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल : X

12. स्थिति फिनिश्ड / सेमी फिनिश्ड / अन्य : X

नि. अ. शान्ति देवी

नि. अ. विजय देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 646856

4

13. पेड़ो का मूल्यांकन : X

14. बोरिंग/कुआं/अन्य : X

15. निर्मित क्षेत्रफल : X

16. निर्माण का वर्ष : X

नि॰ अ॰ शान्ती देवी

नि॰ अ॰ विजय देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 646855

5

17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धि है	:	X
18. प्रतिफल की धनराशि	:	11,97,000 /— रूपया
19. सरकारी मालियत	:	11,97,000 /— रूपया
20. देय स्टाम्प	:	83,800 /— रूपया

नि.अं. शान्ती देवी

नि.अं. विजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 646909

6

<u>चौहददी:–</u>

पूरब	–	सीमा ग्राम सभा तेन्दुई
पश्चिम	–	आराजी नं0 270 व 280
उत्तर	–	आराजी नं0 268 नाली
दक्षिण	–	खेत क्रेता

नि॰ अ॰ शान्ती देवी

नि॰ अ॰ विजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 FEB 2015
AY 646907

प्रथम पक्ष की सं0 (दो) विक्रेतीगण का विवरण:-

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री राम सूरत व श्रीमती विजई देवी पत्नी श्री राम सजीवन, निवासिनीगण ग्राम भागीपुर सरायइनायत, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद, पेशा-गृहणी।

नि॰ अ॰ शान्ती देवी

नि॰ अ॰ विजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 646908

द्वितीय पक्ष की सं० (एक) क्रेता का विवरणः–

मो० अफजल खां पुत्र स्व० गुलाम मुर्तजा खां, निवासी ग्राम चकहरिहरवन, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद, पेशा–कृषि / व्यापार।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05 FEB 2015
AY 655490

9

हम प्रथम पक्ष विक्रेतीगण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्या नहीं है, और आराजी मौजा–भागीपुर, परगना–झूंसी, तहसील–फूलपुर, जिला– इलाहाबाद की आराजी संख्या 269 रकबा 0.7980हे0 की संक्रमणीय भूमिधर कास्तकार मालकिन काबिज दखील है और जो कि सम्पत्ति उपरोक्त हर तरह के वार दयून के कत्तई बरी व पाक साफ है। कहीं रेहन बय व जमानत में नहीं है, न ही किसी बैंक में बंधक है। विक्रेतीगण/प्रथम पक्ष को आराजी उपरोक्त को विक्रय करने का पूरा वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

नि.अं. शान्ती देवी

नि.अं. विजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 655494

वर्तमान में प्रथमपक्ष/विक्रेतीगण को वास्ते दीगर जरूरियात व अन्य विकास कार्यों हेतु रूपयो की सख्त जरूरत दरपेश है। बिना विक्रय किये हुए उक्त आराजी के जुज भाग को रूपया मिलने की कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती है। लिहाजा विक्रेतीगण/प्रथमपक्ष ने विक्रय की चर्चा आम लोगों में किया जिस पर क्रेता/द्वितीयपक्ष सम्पत्ति उक्त को मु0 11,97,000/– रूपये (ग्यारह लाख सत्तानवे हजार रूपये) में खरीद करने को तैयार है। कीमत निहायत माकूल मुनासिब व बाजारू है और इससे ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति अदा करने को तैयार नहीं है। लिहाजा इसी कीमत पर विक्रेतीगण/प्रथमपक्ष, क्रेता/द्वितीयपक्ष के हाथ विक्रय करने के लिए रजामन्द व तैयार है।

नि॰अं॰ शान्ती देवी

नि॰अं॰ बिजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 655493

लिहाजा बिना किसी के डराये व धमकाये व बहकाये व फुसलाये अपने पूरे होशो हवाश में रहते हुए आराजी उक्त का सम्पूर्ण भाग 0.2280हे0 को जिसकी तफसील दस्तावेज हाजा के अन्त में दिखाया गया है, को बएवज मु0 11,97,000/- रूपये (ग्यारह लाख सत्तानवे हजार रूपये) जिसका आधा मु0 5,98,500/-रू0 (पांच लाख अट्ठानवे हजार पांच सौ रूपये) होता है, व बाजारू कीमत भी मु0 11,97,000/-रू0 होती है, में बहक व बदस्त क्रेता/द्वितीयपक्ष के हाथ बेचा व बय कत्तई फरोख्त कामिल किया।

नि॰अं॰ शान्ती देवी

नि॰अं॰ बिजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रू.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 163995

और कुल जरसमन दस्तावेज हाजा व तकमील बैनामा मु0 11,97,000/–रूपये समक्ष उपनिबन्धक फूलपुर प्राप्त किया। अब जिम्में क्रेता/द्वितीयपक्ष पर विक्रेतीगण/प्रथमपक्ष का एक भी पैसा पाना बाकी नहीं है, यही तहरीर काफी है रसीद जुदागाना तहरीर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख से विक्रेतीगण/प्रथमपक्ष भू–स्वामी ने विक्रीत जायदाद मजकूर पर से अपना कुल मालिकाना कब्जा दखल उठाकर उस पर क्रेता/द्वितीयपक्ष को बहैसियत मालिक काबिज व दखील करा दिया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 163996

आज की तारीख से क्रेता/द्वितीयपक्ष को हक हासिल होगा कि विक्रीत जायदाद मजकूर को जिस तरह से चाहे अपने उपयोग, उपभोग में लावे और जो–जो तसरूर्फात मालिकाना निस्बत में लाना चाहे लावें, क्रेता/द्वितीयपक्ष अपने नाम की दाखिल खारिज व कागजात सरकारी व नगर निगम के अभिलेखों में व जहां–जहां, जो–जो आवश्यक हो विक्रेतीगण/प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर क्रेता/द्वितीयपक्ष अपने नाम की दाखिल खारिज करवा लेवें। इसमें प्रथमपक्ष/विक्रेतीगण को न कोई उज्र है, न एतराज है और न आइन्दा कभी होगा।

नि-अ: शान्ति देवी

नि-अ: विजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रू.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 163997

विक्रीत जायदाद पूरी तरह से पाक साफ है, अगर फिर भी किसी दोष मिल्कियत या बदावेदारी किसी सख्श के कुल या जुज भाग क्रेता/द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल से निकल जावे जिससे क्रेता/द्वितीयपक्ष को नुकसान व खिसारा बर्दाश्त करना पड़े तो क्रेता/द्वितीयपक्ष को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल नुकसान विक्रेतीगण/प्रथमपक्ष से वसूल कर लेवें। इसमें प्रथमपक्ष/विक्रेतीगण को न कोई उज्र है, न एतराज है और न आइन्दा कभी होगा।

कि.अं. शान्ती देवी

नि.अं. विजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 368918

15

विवरण जायदाद भूमिधरी

मौजा–भागीपुर, परगना–झूंसी, तहसील– फूलपुर, जिला– इलाहाबाद की आराजी संख्या 269 रकबा 0.7980है0 मे से मुकिरागण अपना– अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 0.2280है0 कृषि कार्य हेतु विक्रय किया।

नि. अं. शान्ती देवी

नि. अं. विजईदेवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 707880

कैफियतः–

विक्रीत जायदाद मुख्य सड़क से 500 मीटर से अधिक दूर स्थित है, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट लिस्ट में प्रारूप 4 के सॉफ्टवेयर में अंकित वी0 कोड सं. 0519, पृष्ठ 53 के कॉलम 8 के अनुसार मु0 52,50,000/–रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से मु0 83,800/–रू0 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

नि.अं. शान्ती देवी

नि.अं. विजई देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 707881

चूंकि क्रेता पुरूष सदस्य होने के कारण उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–स0वि0क0नि0 5–2756/11–2008–500 (168/2007) दिनांक 30 जून 2008 के तहत दी गयी छूट के अनुसार मु0 11,97,000/–रू0 मालियत पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क मु0 83,800/– रू0 का अदा किया गया है। विक्रीत जायदाद कृषि भूमि है और कृषि कार्य हेतु क्रय की जा रही है, और उपनिबन्धक फूलपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। विक्रित भूमि सिग्मेंट सूची के अन्तर्गत नहीं है। विक्रित आराजी के बावत न तो कोई वाद लम्बित है और न ही कोई स्थगनादेश है।

नक्शा ग्राम आगीपुर परगना झूँसी तहसील इलाहाबाद बाबत सन् १३८२ फ०

पैमाना

१" = २०० कदम

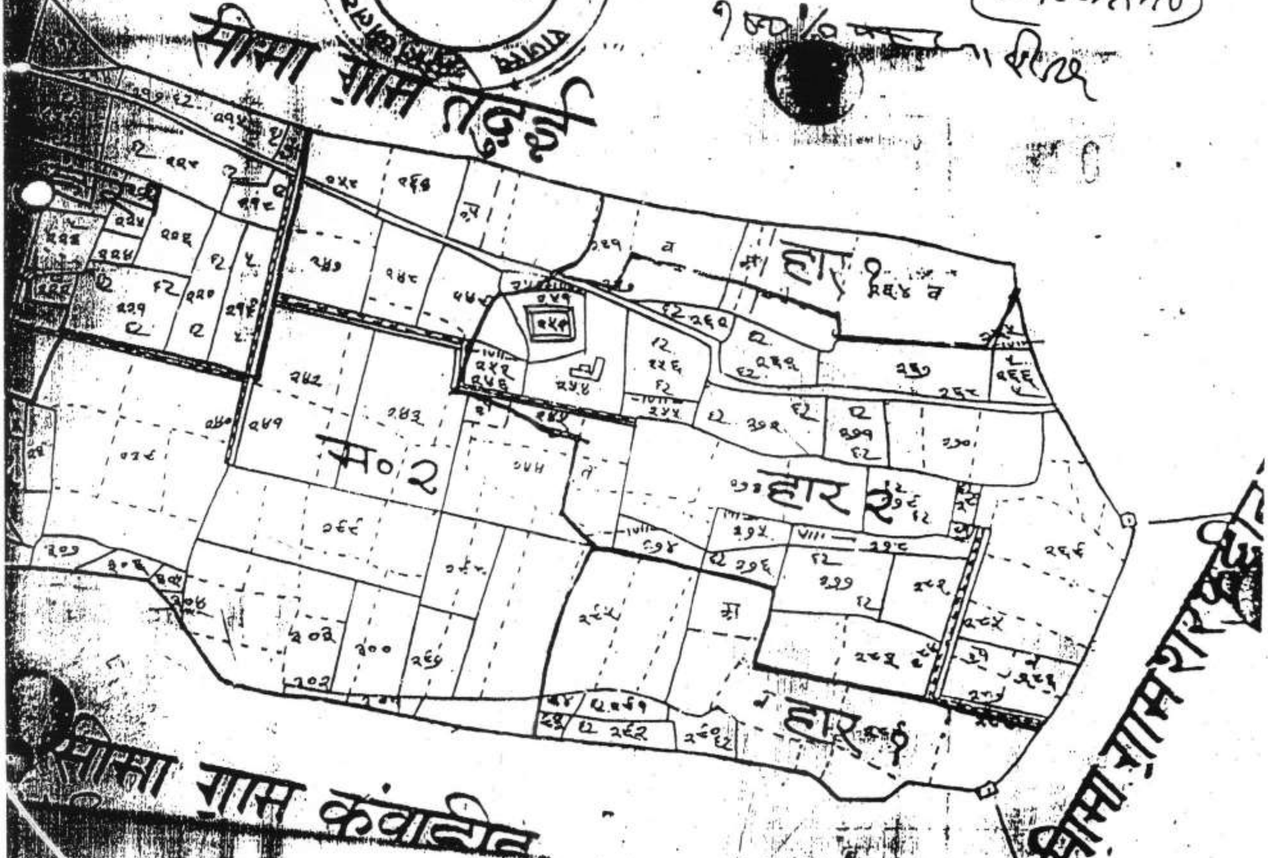

नि० अं० शान्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 707879

नि॰ अं॰ शान्ती देवी

नि॰ अं॰ विमलेश 18

हस्ताक्षर विक्रेतीगणः–

हस्ताक्षर क्रेताः–

गवाह नं0 1 Mohd. Imran S/o Mohd. Rafi
Chak Hazi Harvan Jhunsi Alld.

गवाह नं0 2 Rajesh Shukla Adv. S/o Sri A.P. Shukla
Phulpur Alld.

राम सूरत पुत्र राम अवध निवासी कामीपुर सराय इनायत

मसविदा कर्ताः–सन्तोष कुमार शुक्ल एडवोकेट, फूलपुर, इलाहाबाद।

मो0 नं0:–9415636418

टाइपकर्ताः–जय प्रकाश

Jai Prakash

दिनांकः–19.02.2015

उप कोषागार फूलपुर, इलाहाबाद

दि० 18/02/15 ...... स्टाम्प मूल्य 1000

नाम श्री ...... / पुत्र ......

उप कोषाधिकारी / लेखाकार

18/2/15

आज दिनांक 19/02/2015 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 5177

पृष्ठ सं. 115 से 150 पर कमांक 1575

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजकुमार (प्रभारी)

उपनिबंधक-फूलपुर

इलाहाबाद

19/2/2015